# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 02.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

**(2).** आज दिनाँक 02.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 02.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड से दौड़ लगवायी गयी। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया बाद निरीक्षण बारी - बारी ड्रिल करवाकर

ड्रिल व शस्त्रों के बारे में बताया गया साथ ही जेटीसी कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण में अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक आदेश निर्देश दिए तत्पश्चात पुलिस लाइन का भ्रमण कर क्वार्टर गार्द में सलामी ली गई तथा परिवहन शाखा, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन,पुलिस मेस,स्टोर रूम का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को जल्द से जल्द सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।
परेड के दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव उपस्थित रहें।

**(4).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ/नोडल अधिकारी एसओजी श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी एसओजी/सर्विलांस के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा गुमशुदा/खोया हुआ कुल 75 अदद मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख 35 हजार रूपये का बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि गुम/खोए हुए मोबाइल के धारकों द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष व CEIR पोर्टल पर अपने मोबाइल खोने के सम्बन्ध में पूर्व में विभिन्न तिथियों में प्रार्थना पत्र दिये गये थे,जिस क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा एसओजी/सर्विलांस टीम व थानों को गुम/खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु निर्देश दिये गये थे। प्रभारी एसओजी/सर्विलांस टीम निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी के नेतृत्व में सर्विलांस एवं थानों के टीम द्वारा लगातार प्रयास करते हुए 75 अदद गुमशुदा/खोया हुआ मोबाइल की बरामदगी करते हुए आज दिनाँक-02.09.2025 को मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया। मोबाइल धारकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पुलिस की भूरी-भूरी प्रसंशा की।

**<u>बरामदगीः-</u>**

75 अदद मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख 35 हजार रूपये)

**<u>बरामदगी करने वाली टीमः-</u>**

1. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी
2. मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार
3. मुख्य आरक्षी नितेश समाधिया
4. आरक्षी रोहित सिंह
5. आरक्षी आशीष यादव
6. आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
7. आरक्षी पवन राजपूत
8. आरक्षी राघवेन्द्र
9. आरक्षी रोशन सिंह
10. आरक्षी गोलू भार्गव

**(5).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह एवं उनकी टीम द्वारा मु.अ.स. 275/2025 धारा 109(1) बीएनएस के नामजद वांछित अभियुक्त पंचू निषाद पुत्र नरेश निषाद निवासी ग्राम बालापुर अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी के गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 31.08.2025 को वादिया श्रीमती कुसुमा देवी पत्नी लोकनाथ निषाद निवासी बालापुर मजरा अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गयी कि मेरा पुत्र रिंकू घर का जरूरी सामान लेने

दुकानदार खिच्ची लाल पुत्र भुस्सन निवासी बालापुर से सामान ले रहा था तभी गांव का ही पंचू पुत्र नरेश निषाद व परमेश पुत्र गुलाब निवासीगण उपरोक्त ने वाद विवाद करते हुए एक राय होकर मेरे पुत्र रिंकू पर जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे मेरा पुत्र रिंकू बेहोश होकर जमीन पर गिर गया शोर सुनकर जान बचाने गुहार लगाकर अपने पुत्र को बचाने दौड़ी वहाँ पहुंचकर देखा की पंचू पुत्र नरेश ,परमेश पुत्र गुलाब,खिच्ची लाल पुत्र भुस्सन व गंगाराम पुत्र खिच्ची लाल निवासीगण उपरोक्त ने कुल्हाड़ी से मेरे पुत्र रिंकू के सिर पर प्रहार कर घायल कर दिया। इस सूचना पर थाना मऊ में मु.अ.सं. 275/25 धारा 109(1) बीएनएस बनाम पंचू पुत्र नरेश ,परमेश पुत्र गुलाब,खिच्ची लाल पुत्र भुस्सन व गंगाराम पुत्र खिच्ची लाल निवासीगण बालापुर मजरा अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

आज दिनाँक 02.09.2025 को थाना प्रभारी निरीक्षक मऊ ने अभियुक्त पंचू निषाद पुत्र नरेश निषाद निवासी ग्राम बालापुर अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को बालापुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। पूंछताछ में अभियुक्त ने बताया कि कुल्हाड़ी को महुआ के पेड़ की बाग में सुखा गिरा पेड़ के पास छिपा दिया हूँ। अभियुक्त के बताये स्थान पर पहुंचकर कुल्हाड़ी को बरामद किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-**

पंचू निषाद पुत्र नरेश निषाद निवासी ग्राम बालापुर अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट

**बरामदगीः-**

घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी

**गिरफ्तारी करने वाली टीमः-**

1.श्री दुर्ग विजय सिंह प्रभारी निरीक्षक मऊ

2.उ0नि0 वंशनारायण सिंह

3.आरक्षी सोनपाल

4.आरक्षी चालक संदीप यादव

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री संतप्रसाद द्वारा केश नं0 7756/2022 धारा 138 एनआई एक्ट के वारंटी अभियुक्त राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र चन्दन सिंह यादव निवासी मुलायम नगर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री अनुपमा तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 02.09.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0स0 156/2018 धारा 323,504 भा0द0वि0 के अभियुक्त 1.गौरीशंकर पुत्र स्व0 रामलाल 2.सियाबाई पत्नी गौरीशंकर 3.निर्मला पुत्री गौरीशंकर निवासीगण बाबूपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/-1500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0)एफ0टी0सी0 श्रीमती इला चौधरी द्वारा आज दिनांक 02.09.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0स0 306/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त कल्लू पटेल पुत्र स्व0 बिहारीलाल निवासी अहमदगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 11460/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(9). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सनद मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 02.09.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 273/2011 धारा 147,148,342,387,506 भादवि0 के अभियुक्त 1.रामप्रसाद उर्फ कल्लू उर्फ चिड़ी का गोटर पुत्र बड़कू बढ़ई सिंह निवासी मैनहाई कर्वी थाना कोतवाली कर्वी 2. गंगोलिया उर्फ गंगादीन उर्फ पहलवान पुत्र सूरजदीन निवासी गिदुरहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/-5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनाँक 09.04.2011 को वादिया श्रीमती मोहनिया द्वारा थाना मानिकपुर में सूचना दिया गया था कि अभियुक्त बलखड़िया व शिवकुमार कोल सहित 9-10 अज्ञात बदमाशों द्वारा वादिया के पति को ग्राम निही के जगंलों में पकड़कर ले जाना 20 हजार रूपये की मांग करना रूपये मिलने पर छोड़ देना तथा जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 273/2025 धारा 147,148,342,387,506 भा0द0वि0,10/12 डी0ए0 एक्ट व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट बनाम बलखड़िया व शिवकुमार कोल सहित 9-10 अज्ञात बदमाश पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री देशराज सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी। विवेचक उपरोक्त द्वारा अभियुक्त रामप्रसाद उर्फ कल्लू उर्फ चिड़ी का गोटर व अभियुक्त गंगोलिया उर्फ गंगादीन उर्फ पहलवान का नाम दौराने विवेचना प्रकाश में लाया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए दिनांक 07.06.2011 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा भोली-भाली जनता में आर्थिक व भौतिक लाभ को लेकर भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1. अंकूर पटेल पुत्र भैरो प्रसाद उर्फ कल्लू उम्र करीब 27 वर्ष निवासी रेहुटिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2.देव रैकवार पुत्र शम्भू रैकवार उम्र करीब 21 वर्ष निवासी कजियाना मोहल्ला द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद

चित्रकूट 3.मंगलेश कुमार पुत्र कालीचरन उम्र करीब 30 वर्ष निवासी रेहुटिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की कार्यवाही की गयी।